राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (198)परि/नियम/मु./2006/I 1169 दिनांक : 22/1/2020

## कार्यालय आदेश 05/2020

**विषय :–** राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.3 के तहत वाहनों के अग्रिम पंजीयन नम्बर आवंटित करने के संबंध में।

विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश 25/2008 दिनांक 02.12.2008 द्वारा वाहनों के अग्रिम विशिष्ठ पंजीयन नम्बर आवंटन करने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की हुई है। उक्त आदेश में दुपहिया वाहन तथा दुपहिया वाहनों से भिन्न वाहनों की सिरीज में परिवहन जिलावार अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटित करने की सीमा भी निर्धारित की हुई थी। गत वर्षों में वाहनों के पजीयन में वृद्धि के साथ ही विशिष्ट पंजीयन क्रमांक की मांग में वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप पंजीयन अधिकारियों के अनुरोध पर तथा अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से उक्त अग्रिम पंजीयन की सीमा को विभाग द्वारा समय–समय पर अलग–अलग जिलों के लिए अलग–अलग आदेशो द्वारा बढाया गया। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 27145 दिनांक 31.10.2019 द्वारा विशिष्ठ पंजीयन क्रमांक आवंटन के लिए नवीन शुल्क निर्धारित किए गए हैं।

अतः उक्त अधिसूचना के परिपेक्ष्य में अग्रिम पंजीयन क्रमांक के संबंध में पूर्व में जारी कार्यालय आदेश 25/2008 दिनांक 02.12.2008 को संशोधित करते हुए तथा अग्रिम पंजीयन क्रमांक सीमा बढाने के संबंध में उक्त आदेश के बाद समय–समय पर जारी पश्चातवर्ती आदेशों को अतिक्रमित करते हुए परिवहन जिलो में वाहनों की वार्षिक पंजीयन संख्या के आधार पर वाहनों की अग्रिम पंजीयन सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

## परिवहन जिलों में अग्रिम पंजीयन क्रमांक सीमा

| क्रमांक | परिवहन जिले का नाम | अग्रिम पंजीयन क्रमांक सीमा | | |
|---|---|---|---|---|
| | | दुपहिया वाहन | गैर परिवहन चौपहिया वाहन | अन्य श्रेणी(दुपहिया एवं गैर परिवहन चौपहिया वाहनों के अतिरिक्त) के वाहन |
| 1 | जयपुर | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से चतुर्थ अग्रिम पंजीयन सिरीज तक | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से पंचम अग्रिम पंजीयन सिरीज तक | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से प्रथम अग्रिम पंजीयन सिरीज तक |
| 2 | जोधपुर, उदयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, पाली, चित्तौडगढ, बीकानेर, सीकर, भरतपुर, दौसा, भीलवाडा, श्रीगंगानगर, नागौर और झुंझुनू | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से तृतीय अग्रिम पंजीयन सिरीज तक | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से चतुर्थ अग्रिम पंजीयन सिरीज तक | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से प्रथम अग्रिम पंजीयन सिरीज तक |
| 3 | बांसवाडा, टोंक, झालावाड, बूंदी, डूंगरपुर, बारां, सवाईमाधोपुर, बाडमेर, हनुमानगढ, राजसमंद, चुरू, जालोर, धौलपुर, करौली, सिरोही, प्रतापगढ एवं जैसलमेर | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से द्वितीय अग्रिम पंजीयन सिरीज तक | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से तृतीय अग्रिम पंजीयन सिरीज तक | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से प्रथम अग्रिम पंजीयन सिरीज तक |
| 4 | कॉलम 1, 2 एवं 3 में अंकित परिवहन कार्यालयों के अतिरिक्त शेष परिवहन कार्यालय | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से प्रथम अग्रिम पंजीयन सिरीज तक | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से द्वितीय अग्रिम पंजीयन सिरीज तक | वर्तमान मे चल रही पंजीयन सिरीज से प्रथम अग्रिम पंजीयन सिरीज तक |

पंजीयन अधिकारी, उनके परिवहन जिले में वर्तमान में चल रही पंजीयन सिरीज से विभाग द्वारा निर्धारित अग्रिम पंजीयन सिरीज तक विशिष्ठ पंजीयन नम्बर अधिसूचना क्रमांक 27145 दिनांक 31.10.2019 के अनुसार अनिवार्यतः ई–ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करवाकर ही आवंटित कर सकेगा। पूर्व में वाहनों को आवंटित हो चुके अग्रिम विशिष्ठ पंजीयन क्रमांक उक्त आदेश से प्रभावित नही होंगे, परन्तु भविष्य में अग्रिम पंजीयन उक्त निर्धारित सीमा के अन्दर ही किया जा सकेगा। ऐसे परिवहन कार्यालय जहां उपरोक्त तालिका में निर्धारित अग्रिम पंजीयन क्रमांक सीमा से आगे के पंजीयन क्रमांक पूर्व में ही आवंटित कर दिए गए हैं, वह इसकी सूचना मुख्यालय को शीघ्र ही प्रेषित करेगें।

अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन हेतु अनिवार्य रूप से प्रयोग में आने वाली ई–ऑक्शन की प्रक्रिया एवं इसके नियमों से आमजन को अवगत कराने के लिए कार्यालय स्तर से एवं दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। ई–ऑक्शन की प्रक्रिया एवं इसके नियमो से संबंधित विभागीय आदेश जारी किया जा रहा है।

परिवहन जिलों में नई सिरीज में वाहन के अग्रिम पंजीयन की सिरीज प्रारम्भ होने से पूर्व ही राज्य स्तरीय किसी एक मुख्य दैनिक समाचार पत्र में उक्त सिरीज के प्रारम्भ होने की सूचना अनिवार्य रूप से जन–साधारण को देवें, जिससे उक्त योजना का लाभ आम–जन को मिल सके।

उक्त निर्देशों की सख्ती से अनुपालना की जावे अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।

(राजेश यादव)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : एफ 7 (198)परि/नियम/मु./2006/I 1170–76 दिनांक : 22/1/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

22/1/2020
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)